

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

- कार्यालय आदेश:-

राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 56 (क) एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1 (6) वित्त/ नियम /98 दिनांक 28.12.98 एवं दिनांक 24.05.04 एवं प.6)/ वित्त/ नियम/ 2008 जयपुर दिनांक 24.03.15 के द्वारा संशोधित नियमों के तहत निम्नांकित अधिकारियों द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने अंकित दिनांक से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्र०स०	नाम सर्वश्री/ श्रीमती/ सुश्री	पद	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	हरिराम मीणा	संस्थापन अधिकारी	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर	01-01-61	31-12-20
2	बाबू लाल मीणा	संस्थापन अधिकारी	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, धौलपुर	12-01-61	31-01-21
3	उदय लाल घोषी	संस्थापन अधिकारी	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़	01-01-61	31-12-20
4	जयराम	संस्थापन अधिकारी	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बाडमेर	10-01-61	31-01-21
5	बनबारी लाल दीक्षित	संस्थापन अधिकारी	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर	01-02-61	31-01-21
6	दशरथ तिवारी	अतिप्रशासक अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रार.शिक्षा, सीकर	01-02-61	31-01-21
7	भवानीशकर गौड	अतिप्रशासक अधिकारी	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर	31-03-61	31-03-21
8	खंगार राम	अतिप्रशासक अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्य. शिक्षा, जैसलमेर	02-02-61	28-02-21
9	जगदीश मेघवाल	अतिप्रशासक अधिकारी	डाईट, जैसलमेर	01-03-61	28-02-21
10	दुर्गा प्रसाद मीना	अतिप्रशासक अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सीकर	16-03-61	31-03-21
11	रामस्वरूप शर्मा	अतिप्रशासक अधिकारी	राज्य उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, अजमेर	05-01-61	31-01-21

प्रारूप-6

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध आज तक :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/अधीन नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(सौरभ रवागी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक- 14.9.2020

क्रमांक: शिविरा/मा/साप्र/बी-1/3104/सेवानिवृत्त/2020-21

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2. संबंधित, संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग
3. संबंधित, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा
4. संबंधित, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) (माध्यमिक/प्रारम्भिक)
5. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा
6. संबंधित संस्था प्रधान/कामैक/नेजो गाडे पांजेका



उप निदेशक(प्रशासन)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर